आवेदक (छात्र-छात्रा) के लिए आवश्यक निर्देश

UG (CBCS) सत्र (2026 – 2030) में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदक (छात्र-छात्रा) को सलाह दी जाती है कि, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व निम्नलिखित सभी दिशा निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों और सूचनाओं का पालन करना चाहिए। साथ ही आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, इसके बाद ही आवेदन फार्म को भरें।

1. आवेदकों के पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। आवेदक का लॉगिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से होगा। यह ईमेल और मोबाइल नंबर भविष्य के परीक्षा संबंधित सभी संदर्भों के लिए उपयोग किया जाएगा। अतः सलाह है कि स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रयोग करें।

2. आवेदक अपना ऑनलाइन नामांकन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व निम्न लिखित प्रमाण पत्रों को स्कैन कर **PDF** बनाकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे क्योंकि ,समर्थ ऐडमिशन पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य होगा। सभी अपलोड किये जाने वाले सर्टिफिकेट्स का साईज 10 KB से 500 KB के मध्य होना चाहिये।
   - **a.** Latest Photo Not more than 2 months old
   - **b.** Signature of Student in English and Hindi
   - **c.** Original Xth Marksheet and Certificate
   - **d.** Original XIIth Marksheet and Certificate
   - **e.** Caste Certificate If applicable
   - **f.** EWS Certificate If applicable [Under Valid period]
   - **g.** PwD Certificate If applicable
   - **h.** Other Certificate If applicable

3. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय नवीनतम रंगीन तथा स्पष्ट फोटो को ही अपलोड करेंगे। फोटो में चेहरा स्पष्ट हो । यदि वे किसी अन्य का अथवा पुराना फोटो लगाते हैं, तो किसी भी स्थिति में फोटो बदलने की अनुमति विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी।

4. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय आवेदक की व्यक्तिगत् सूचना (Personal Info) जैसे नाम, जन्मतिथि, फोटो, हिंदी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर, जाति, माता तथा पिता का नाम पूर्ण सावधानी से भरेंगे। Name Spelling अच्छी तरह से चैक करेंगे। यह व्यक्तिगत् सूचना नामांकन, पंजीयन से लेकर परीक्षा प्रपत्र तक परिवर्तित नही होगी।

5. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विषय के अंको (12वीं अंक-प्रतिशत) तथा आरक्षण श्रेणी के आधार पर मेधा सूची (Merit List) तैयार की जाएगी। महाविद्यालय में नामांकन के समय मूल अंक पत्र तथा मूल जातिप्रमाणपत्र से मिलान होने पर ही नामांकन होगा। यदि अंकों अथवा जाति श्रेणी में अंतर पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नामांकन नही लिया जाएगा। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि नामांकन कन्फर्म करने के चककर में अंक-प्रतिशत बढ़ाने की गलती ना करे।

6. मेधा सूची में चयनित होने का अर्थ आवेदक का नामांकन होना नही है। आवेदक का नामांकन सिर्फ और सिर्फ तभी पूरा माना जाएगा जब वह निर्धारित अवधि में आवंटित महाविद्यालय जाकर ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र में भरे गए शैक्षणिक अंकपत्र, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच मूल प्रमाणपत्रों

25.05.26

से कराएगा। जांचोपरांत महाविद्यालय उसे सत्यापित करेगा और आवेदक नामांकन शुल्क जमा करेगा। इसके पश्चात ही उसका नामांकन पूर्ण होने की श्रेणी में माना जाएगा।

7. मेधा सूची में चयनित होने के बाद विद्यार्थी नामंकन लेने हेतु आवंटित महाविद्यालय जाकर सभी शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच सशरीर उपस्थित होकर करानी होगी। विद्यार्थी के अलावा किसी अन्य अथवा निकट परिजन को शैक्षणिक तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराने की कोई अनुमति नही है।
8. नामंकन लेने हेतु निर्धारित तिथि में आवंटित महाविद्यालय जाते समय अपलोड किये गये सभी शैक्षिक अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ TC/ CLC / SLC (original) की आवश्यकता होगी। बिना Original TC/CLC/ SLC प्राप्त किए नामांकन स्वीकार नही होगा।
9. आरक्षण और फीस में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को ही मिलेगा, अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण और लाभ का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के किसी निवासी को आरक्षण अथवा छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी जाति को देखकर ही ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र में जाति, सर्टिफिकेट नंबर तथा निर्गत तिथि भरें।
10. नकली मूल अंक पत्र अथवा नकली जाति प्रमाण पत्र को बनवाकर नामांकन लेने का प्रसास करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय की समस्त नामांकन प्रक्रिया से तीन वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा ।
11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वें जिस विषय में नामांकन लेना चाहते हैं, उसी विषय में Apply करेंगे। यह विषय विद्यार्थी के लिये MJC (major course) विषय के रूप में रहेगा। चार वर्ष पूर्ण होने पर इसी विषय के साथ ऑनर्स किया जा सकेगा।
12. Intermediate Science का उत्तीर्ण विद्यार्थी तीनों संकाय B.A./ B.Com. / B.Sc. में से किसी भी संकाय के किसी भी विषय को MJC (Major) विषय के रूप में चुन सकता है। लेकिन Intermediate Arts तथा Intermediate Commerce का उत्तीर्ण विद्यार्थी B.Sc. संकाय के विषय में Apply नही सकता है।
13. Intermediate Commerce एवं Intermediate Arts का उत्तीर्ण विद्यार्थी B.A. / B.Com. के किसी भी विषय को MJC (Major) के रूप में चुन सकता है।
14. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं के रेगुलर कोर्स में यदि VIth पेपर अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है। और अपना नामांकन VIth पेपर में अर्थात एक्स्ट्रा पेपर वाले विषय में लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में एडमिशन फॉर्म में कुल प्राप्तांक (टोटल मार्क्स) VIth पेपर सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे और अपना पांचवा पेपर का अंक कुल प्राप्तांक में नही जोड़ेंगे।
15. सभी State Boards के Inter या 10+2 उत्तीर्ण छात्र - छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ उन्ही विद्यार्थियों का नामांकन होगा जो 10+2 या समतुल्य उत्तीर्ण हैं।
16. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को Intermediate Science के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार के सिलेबस में अभियंत्रण विषयों के अतिरिक्त

25-05-24

भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी की भी पढाई होती है। अतः ऐसे आवेदक U.G. में किसी भी विषय में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते है।

17. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का NCVT/ SCVT से मान्यता प्राप्त ITI कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI के परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण (केवल विज्ञान संकाय गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के लिए) के समकक्ष माना जायेगा।

विषय तथा महाविद्यालय के चयन का नियम:

18. समर्थ नामांकन पोर्टल पर पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के अंतर्गत आने वाले चारों जिला के सभी अंगीभूत(Constituent) एवं संबंधन प्राप्त (Affiliated) महाविद्यालय की सूची डाल दी गई है जिन्हें जिला वार प्रदर्शित किया गया है। अतः आप जिस विषय में नामांकन लेना चाहते हैं उस विषय के कौन-कौन कॉलेज कहां स्थित हैं पहले यह भली भांति पता कर लें।
19. आवेदक, ऑनलाइन नामांकन आवेदन प्रपत्र भरते समय पसंद और प्राथमिकता के आधार पर **अधिकतम दो विषय** नामांकन हेतु चुन सकते हैं। यदि आवेदक नामांकन हेतु ऑनलाइन नामांकन आवेदन प्रपत्र भरते समय दो विषय को चुनते है तो पहली अथवा दूसरी मेधा सूची में पसंद के विषय में नामांकन कन्फर्म होने की संभावना अधिक होगी।
20. आवेदक पहले प्रथम विकल्प के रूप में चुने गए विषय के आधार पर महाविद्यालय चुनेंगे। इसके बाद पसंद और प्राथमिकता के आधार पर **अधिकतम दो ही जिला (एक गृह जिला दूसरा अन्य जिला) में** अधिकतम ग्यारह (11) महाविद्यालयों को चुन सकता है। यह चयन अंगीभूत(Constituent) एवं संबंधन प्राप्त (Affiliated) महाविद्यालय में से करना है। यदि कम महाविद्यालय का चुनाव करते हैं तब बाद के महाविद्यालय आप्शन में NOT INTERESTED करना होगा।
21. मेधा सूची में चयन पहले विकल्प के रूप में चुने गये विषय में चयनित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के कट ऑफ अंक के आधार पर होगा। यदि पहले विकल्प के रूप में चुने गये विषय में चयनित महाविद्यालयों में आवंटन नही हो पाता है तब दुसरे विकल्प के रूप में चुने गये विषय पर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।
22. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि महाविद्यालय का चुनाव करते समय वह अपने गृह जिला अथवा निकटतम जिला में अधिकतम कॉलेज का चयन करें। कॉलेज का चयन पसंदीदा विषय की उपलब्धता के आधार पर करना है। गृह जिला अथवा निकटतम जिला से अधिकतम कॉलेज का चयन करने से विद्यार्थियों को वर्ग संचालन ,फॉर्म भरना , आंतरिक परीक्षा के समय कॉलेज जाना में आसानी होगी।
23. ऑनलाइन फॉर्म के पेमेंट करने के बाद प्रोग्राम सेक्शन में दुसरे विषय को भरा जा सकता है। विषय के साथ क्रम संख्या 20 के अनुसार अधिकतम ग्यारह (11) महाविद्यालयों को चुन सकता है।

25.05.26

24. मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक उनके आरक्षण श्रेणी तथा उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के कट ऑफ अंक के आधार पर कंप्यूटर के द्वारा जारी किया जाएगा। अतः किसी विद्यार्थी को कौन सा महाविद्यालय आवंटित हो रहा है, यह उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में उनकी मेधा के अनुसार उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा।

25. प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात, महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों का द्वितीय मेधा सूची का कोटि वार प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें वैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में वरीयता वाले महाविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लिए हैं परंतु नामांकन नहीं लिए उन लोगों को द्वितीय मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

26. यदि मेधा सूची में चयन होने पर आवेदक किसी भी कारण से नामांकन नही लेता है , तब वह इस मेधा सूची के आधार पर अन्य किसी भी मेधा सूची में नामांकन नही ले सकेगा। चयन होने पर नामांकन न लेना का अर्थ नामांकन प्रक्रिया से बाहर होना है।

27. ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरने तथा महाविद्यालय में नामांकन कराने की सुविधा रविवार तथा अवकाश के दिनों में भी रहेगी।

28. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं जिनके पास अभी तक 12वीं के अंक पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, वे आवेदन के समय निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करेंगे—

    (i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई WEB COPY को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित (Attested) कराकर अपलोड करेंगे।

    (ii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी, DigiLocker से डाउनलोड की गई अंक पत्र की प्रति को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित (Attested) कराकर अपलोड करेंगे।

    उक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा, किन्तु नामांकन के समय 12वीं के मूल अंक पत्र से अंकों का सत्यापन/मिलान किए जाने के उपरांत ही नामांकन को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

29. विद्यार्थियों **को नामांकन फॉर्म भरने में किसी भी असुविधा अथवा समस्याओं** के निराकरण के लिए पास के महाविद्यालय के साथ पूर्णियां विश्वविद्यालय द्वारा जारी E:Mail ID पर भी जानकारी ले सकेंगे।

    E:Mail helpdeskadmission@purneau.ac.in

30. दो आवेदकों के (12वीं अंक-प्रतिशत) तथा आरक्षण श्रेणी समान होने पर मेधा सूची का निर्धारण टाई-**ब्रेकर नियम** से होगा।

    टाई-ब्रेकर नियम ऐसे आवेदक जिनके 12वीं के अंक- प्रतिशत बराबर होने पर अधिक 10वीं के अंक-प्रतिशत को वरीयता मिलेगी। 12वीं के अंक- प्रतिशत बराबर होने पर डेट ऑफ़ बर्थ से निर्धारण होगा। अधिक उम्र के विद्यार्थी को मेरिट में वरीयता मिलेगी। यदि डेट ऑफ़ बर्थ भी समान हों तब नाम में एल्फाबेटिकल क्रम से वरीयता मिलेगी।

25.05.26